

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 12-06-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹32,68,94,500/- (बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख चौरान्चे हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹32,68,94,500/- (बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख चौरान्चे हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सारंग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेंगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

←→

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
12. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
13. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
15. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वसभाजन,

12/6/18

(सचिवदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

रजि०

ज्ञापांक : 12(7)A

पटना, दिनांक : 12-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/18

सरकार के विशेष सचिव

रजि०

(1)

विवरण-II

क्षेत्रीय आपर निदेशक, स्टा0 से0, पटना/तिरहुत/दरभंगा/भागलपुर प्रमण्डलों में कार्यरत संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग के लिए वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ता भद एवं अन्य भदों में आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	भकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1	पटना प्रमण्डल, पटना	2500000	250000	100000	500000	12000	90000	3452000	24000	24000	3500000
2	तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	2500000	250000	100000	0	12000	90000	2952000	24000	24000	3000000
3	दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	2000000	200000	100000	0	12000	87000	2399000	24000	24000	2447000
4	भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	2000000	200000	100000	0	12000	87000	2399000	24000	24000	2447000
	कुल	9000000	900000	400000	500000	48000	354000	11202000	96000	96000	11394000

12 (F) a

12-06-18

(एक करोड़ तेरह लाख चौसठ हजार) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव 12/6/18

रुबी

विवरणी-III

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के अधीन कार्यरत 101 रोगों से बचाव एवं नियंत्रण योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ता मद तथा अन्य इकाईयों में आवंटन :-

क्रम	प्राथमिक इकाई (कोड नं०)	आवंटित राशि
1	2	3
1	वेतन (0002-01-01)	2000000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	200000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	300000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	300000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	40000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	180000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	3020000
7	यात्रा व्यय (0002-11-01)	30000
8	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	30000
9	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	120000
10	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	15000
	कुल योग:-	3215000

(बत्तीस लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र

सरकार के विशेष सचिव
12/6/18

विवरणी वार व्यय की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई (कोड नं०)	विवरणी -I	विवरणी -II	विवरणी -III	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	वेतन (0002-01-01)	217500000	9000000	2000000	228500000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	21750000	900000	200000	22850000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	36975000	400000	300000	37675000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	800000	500000	300000	1600000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	4350000	48000	40000	4438000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	18487500	354000	180000	19021500
7	त्योहार अग्रिम (0002-01-08)	0	0	0	0
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	299862500	11202000	3020000	314084500
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	0	0	0	0
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	975000	96000	30000	1101000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	1900000	96000	30000	2026000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	1530000	0	0	1530000
12	दूरभाष (0002-13-03)	133000	0	0	133000
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	4560000	0	120000	4680000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	950000	0	0	950000
15	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	133000	0	15000	148000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	532000	0	0	532000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	760000	0	0	760000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	0	0	0	0
19	दवा भंडार (0002-21-02)	0	0	0	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	0	0	0	0
21	संविदा सेवाएँ (0002-28-02)	950000	0	0	950000
22	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	0	0	0	0
	योग	312285500	11394000	3215000	326894500

(बत्तीस करोड़ अड़सठ लाख चौसन्धे हजार पाँच सौ) रू० मात्र


12/7/18
12-06-18

सरकार के विशेष सचिव
12/6/18

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0002-01-01)	520013000	228500000	291513000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	52001000	22850000	29151000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	74474000	37675000	36799000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	4112000	1600000	2512000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	10260000	4438000	5822000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	38640000	19021500	19618500
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	700000000	314084500	385915500
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	0	1000000
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	2500000	1101000	1399000
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	5000000	2026000	2974000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	1530000	1470000
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	133000	167000
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	4680000	1870000
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	950000	1050000
15	बर्दा / पोषाक (0002-13-06)	300000	148000	152000
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	532000	578000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	2500000
18	सागरी एवं पूर्तियों (0002-21-01)	1500000	760000	740000
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	0	2400000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	1000
21	सविदा सेवाएँ (0002-28-02)	2000000	950000	1050000
22	मशीनें एवं उपकरण (0002-52-01)	1000	0	1000
	कुल योग:-	730162000	326894500	403267500

12 (7) a
12-06-18


 12/6/18
 सरकार के विशेष सचिव
